

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 56/18

तारीख दायरा : 05.03.2018

प्रा. दि.क्र. दिनांक - 12.9.19

उनवान

- 1.श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट।
- 2.नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट।
- 3.राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट निवासीयान् ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर।वादीगण।

बनाम

- 1.रणजीत पुत्र श्री छाजूराम।
- 2.मातादीन पुत्र छाजूराम।
- 3.रत्तीराम पुत्र छाजूराम।
- 4.बत्तो देवी पत्नी रामचन्द्र।
- 5.महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र।
- 6.विक्रम पुत्र रामचन्द्र।
- 7.सुरेश पुत्र रामचन्द्र।
- 8.मुकेश पुत्र रामचन्द्र।
- 9.रमेश पुत्र श्री रामचन्द्र।
- 10.सरोज उर्फ चिडिया पुत्री रामचन्द्र जातियान जाट निवासीयान् रानोठ तहसील मुण्डावर।
- 11.चांदबाई पत्नी श्री भौरेलाल जाति जाट निवासी सुखमनहेडी तहसील मुण्डावर।
- 12.राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मुण्डावर।असल प्रतिवादीगण।
- 13.सोमदत्त पुत्र किशनलाल।
- 14.करणसिंह पुत्र किशनलाल।
- 15.सावित्री देवी पुत्री बसन्ता जाति नाई।
- 16.सरवण बेवा रामदयाल जाति जाट।
- 17.सुबेसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी रानोठ।
- 18.शेरसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी रानोठ।
- 19.सरजीत पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी रानोठ।
- 20.बसन्ता पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी रानोठ।
- 21.सतबीर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी रानोठ तहसील मुण्डावर।

.....तर० प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर (अलवर) राज.

2. सुमित्रा व अन्य बनाम रणजीत व अन्य
राजस्व वाद संख्या : 56/18

(दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट)

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक 12.9.19

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न. 128 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम रानोठ का वादीगण को $\frac{1}{2}$ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त $\frac{1}{2}$ भाग पर दर्ज हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्त आराजी को उभयपक्ष के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर कुरेजात कायम कर कुरे रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

(योगेश कुमार डारु) / 12.9.19

उप सचिव अधिकारी
मुण्डावर (अजमेर) राज०

नोट - प्रा० पर्चा डिक्री की इमरी व तीमरी पंक्ति में वादीगण का हिस्सा $\frac{1}{2}$ के स्थान पर $\frac{1}{4}$ पढ़ जावे।

13.9.19

उप सचिव अधिकारी
मुण्डावर (अजमेर) राज०

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
पीठारीन अधिकारी :- प्यारेलाल सोठवाल (R.A.S.)

दावा संख्या
56/2018

रजू दिनांक
05.03.2018

निर्णय दिनांक
30.09.2019

उनवान

- 1 श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट
- 2 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट
- 3 राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री शहीद सुबेदार टेकचन्द जाति जाट निवासीयान् ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।

—: वादीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र श्री छाजूराम
2. मातादीन पुत्र छाजूराम
3. रत्तीराम पुत्र छाजूराम
4. बत्तो देवी पत्नी रामचन्द्र
5. महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
6. विक्रम पुत्र रामचन्द्र
7. सुरेश पुत्र रामचन्द्र
8. मुकेश पुत्र रामचन्द्र
9. रमेश पुत्र रामचन्द्र
10. सरोज उर्फ चिडिया पुत्री रामचन्द्र जातियान जाट निवासीयान रानोठ तह० मुण्डावर जिला अलवर।
11. चांदबाई पत्नी श्री भौरेलाल जाति जाट निवासी सुखमनहेडी तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर
13. सोमदत्त पुत्र किशनलाल
14. करणसिंह पुत्र किशनलाल
15. सावित्री देवी पुत्री बसन्ता जाति नाई
16. सरवण बेवा रामदयाल जाति जाट
17. सुवेशिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट
18. शेर सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट
19. सरजीत पुत्र रामदयाल जाति जाट
20. बसन्ता पुत्र रामदयाल जाति जाट
21. सतवीर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासीयान रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।

—: असल प्रतिवादीगण


—: तर० प्रतिवादीगण

दावा 53, 88, 89, 188 राज० कास्त० : पिठ०

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से वकील श्री रणवीर यादव की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 30.09.2019 को प्यारेलाल सोठवाल उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

“ न्यायालय वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खं०नं० 128 रकबा 0.73 है० का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.09.2019 प्रदर्श-अ के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

है। मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव खसरा नं० 128/0.73 है० में से खसरा नं० 128/2 रकबा 0.1825 है० वादीगण सम्भाग हिस्सा 1/4 भाग के, आराजी खसरा नं० 128/1 रकबा 0.1825 है० प्रतिवादी संख्या 3 रतिराम को हिस्सा 1/4 भाग का तथा अन्य शेष खातेदारन को खसरा नं० 128/3 रकबा 0.3650 है० का हिस्से अनुसार कुल 1/2 भाग का हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रैजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। दोनो पक्षो को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लंगान आनुपतिक कायम करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(प्यारेलाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०